कार्यक्षेत्र विस्तार एवं हमारी पहुंच

- महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान
- राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2013
- हर घर नल का जल निश्चय योजना

कार्यक्षेत्र विस्तार एवं हमारी पहुंच

महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)

महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाता है। विगत वर्षो में मनरेगा योजना का समवर्त्ती एवं सामान्य सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण में क्रियान्वित योजनाओं एवं उनके लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। इस क्रम में सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा संबंधित कर्मियों से समन्वय स्थापित कर क्रियान्वित योजनाओं का दस्तावेज प्राप्त कर, दस्तावेजों के अनुरूप योजनाओं का कार्य स्थल पर सत्यापन किया गया है। साथ ही इन योजनाओं में संलग्न जॉब कार्डधारियों का जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, कार्य स्थल की सुविधायें एवं मजदूरी भुगतान का सत्यापन किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति :

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	अभियुक्ति
	जिला	पंचायत	पंचायत	
2018-19	14	524	251	सामान्य
2019-20	38	6,838	2,647	सामान्य
2020-21	38	6,092	5,398	समवर्त्ती
2021-22	38	2,068	1,282	समवर्त्ती
	38	2,296	2,155	सामान्य
2022-23	38	8,068	7,312	सामान्य

सामाजिक अंकेक्षण से निम्न प्रकार के कतिपय शिकायत/तथ्य प्राप्त हुएः–

- मास्टर रॉल में अंकित मजदूरों के सत्यापन के क्रम में यह बताया जाता है कि उनके द्वारा संदर्भित योजनाओं में कार्य नहीं किया गया है।
- अपात्र व्यक्ति एवं मशीनों के द्वारा कार्य किया जाना।
- मजदूरों को 100 दिन अनुमान्य कार्यदिवस से अधिक का भुगतान किया जाना।
- एक परिवार के लिए अनुमान्य एक जाँब कार्ड से अधिक जाँब कार्ड पाया जाना।
- मास्टर रोल में अधिलेखन (Over Writing) किया जाना।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने से निर्धारित 15 दिन पूर्व कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा योजनाओं से संबंधित अभिलेख आदि उपलब्ध नहीं कराया जाना।
- मापी पुस्तिका में अंकगणितीय त्रुटि, मस्टर रोल एवं मापी पुस्तिका में अंतर पाया जाना।
- जॉब कार्ड एवं काम की मांग के लिए रोजगार दिवस का अनियमित आयोजन।
- कार्य स्थल पर मास्टर रोल का संधारण नहीं किया जाना।

- कार्य स्थल पर देय सुविधाओं का लाभ मजदूरों को नहीं दिया जाना।
- पात्र मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं पाया जाना।
- इच्छुक मजदूरों को नया जॉब कार्ड निर्गत नहीं किया जाना।
- पुराने जॉब कार्ड को अद्यतन एवं नवीनीकरण नहीं किया जाना।

महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों एवं ग्राम सभा–सह–जन सुनवाई के प्रतिवेदनों को जिला संसाधन सेवी के द्वारा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त कार्यालय को कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों का MIS इन्ट्री मनरेगा के वेबसाईट पर किया गया है। तथ्यों के आलोक में क्रियान्वयन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई/वसूली की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सामाजिक अंकेक्षण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाता है। विगत वर्षो में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का समवर्त्ती एवं सामान्य सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा संबंधित कर्मियों से समन्वय स्थापित कर निर्माणाधीन आवास से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर, दस्तावेजों के अनुरूप निर्माणाधीन आवास का सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन के क्रम में लाभार्थी से आवास निर्माण हेतु प्राप्त सहायता राशि एवं निर्माण की स्थिति के साथ–साथ लाभार्थी का बैंक पासबुक एवं जॉब कार्ड का सत्यापन किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी को मुफ्त बिजली कनेक्शन, उज्जवला गैस कनेक्शन, नल का कनेक्शन, शौचालय निर्माण, डीआरआई ऋण आदि के संबंध में जानकारी दी गई है।

सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति :

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	अभियुक्ति
	जिला	पंचायत	पंचायत	
2018-19	38	524	251	सामान्य SA
2019-20	38	6,838	2,598	सामान्य SA
2020-21	34	2,370	2,301	समवर्त्ती SA
2021-22	38	2,068	954	समवर्त्ती SA
	38	2,296	1,983	सामान्य SA
2022-23	38	8,068	6,683	सामान्य SA

सामाजिक अंकेक्षण से निम्न प्रकार के कतिपय शिकायत/तथ्य प्राप्त हुएः–

- आवास के बारे में लाभुक को पर्याप्त जानकारी नहीं दिया जाना।
- ग्राम सभा द्वारा पारित प्राथमिकता सूची की जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जाना।
- आवास निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी नहीं दिया जाना
- आवास निर्माण के साथ शौचालय, उज्जवला गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, हर घर नल का जल कनेक्शन, डीआरआई ऋण आदि के बारे में लाभुकों को जानकारी नहीं दिया जाना।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों एवं ग्राम सभा–सह–जन सुनवाई के प्रतिवेदनों को जिला संसाधन सेवी के द्वारा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त कार्यालय को अनुवर्ति कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है। समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में क्रियान्वयन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाता है। विगत वर्षो में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का सामान्य सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा संबंधित योजनाओं के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अभिलेख एवं योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त किया गया। सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा अभिलेख के अनुरूप लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त लाभुकों का गृह भ्रमण कर सत्यापन किया गया। लाभार्थी सत्यापन के क्रम में शौचालय की स्थिति यथा– पूर्ण, अपूर्ण, कोई निर्माण नहीं, एक गड्ढ़ा, दो गड्ढ़ा एवं सेफ्टी टैंक के साथ शौचालय उपयोग में है अथवा नहीं इसका भी सत्यापन किया गया एवं शिकायतें प्राप्त की गई। अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों एवं शिकायतों को संकलित कर ग्राम सभा–सह–जन सुनवाई में ज्यूरी के समक्ष यथोचित कार्रवाई/निर्णय हेतु तथ्यों को प्रस्तुत किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति :

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	अभियुक्ति
	जिला	पंचायत	पंचायत	
2018-19	0	0	0	-
2019-20	38	6,838	2,208	सामान्य SA
2020-21	0	0	0	-
2021-22	38	2,296	2,067	सामान्य SA
2022-23	38	8,068	4,320	सामान्य SA

सामाजिक अंकेक्षण से निम्न प्रकार के कतिपय शिकायत/तथ्य प्राप्त हुएः–

- शौचायल अपूर्ण स्थिति में पाया गया।
- शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है।
- शौचालय दो गढ्ढ़ा के बजाए एक गढ्ढ़ा का पाय गया।
- शौचालय का उपयोग में नहीं पाया जाना।
- शौचालय निर्माण के बावजूद लाभुकों को पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों एवं ग्राम सभा–सह–जन सुनवाई के प्रतिवेदनों को जिला संसाधन सेवी के द्वारा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त कार्यालय को अनुवर्ति कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है। है। समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में क्रियान्वयन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2013

राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाता है। विगत वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2013 का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है, जिसमें जन वितरण प्रणाली की दुकानों के अनुज्ञप्ति, सूचना पट्ट, मूल्य/भंडार पट्ट, लाभुकों की संख्या, E-POS मशीन के प्रयोग एवं रख–रखाव, वजन एवं माप का उपकरण, समय पर अनाज का आवंटन, अनाज की मात्रा, भंडार पंजी, निरीक्षण/शिकायत पंजी आदि का सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली के लाभुकों का सत्यापन के क्रम में राशन कार्ड में सदस्यों की संख्या, कार्ड के अनुसार प्रतिमाह मिलने वाला खाद्यान्न दर एवं इससे संबंधित विचलन, अनाज की गुणवत्ता, कैशमेमो, मोबाईल पर मैसेज, निगरानी समिति से संबंधित जानकारी, E-POS मशीन से संबंधित जानकारी आदि का सर्वेक्षण/सत्यापन किया गया एवं शिकायतें प्राप्त की गई। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्य एवं लाभार्थियों की शिकायतों को संकलित कर ग्राम सभा–सह–जन सुनवाई में ज्यूरी के समक्ष यथोचित कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति :

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	अभियुक्ति
	जिला	पंचायत	पंचायत	
2018-19	0	0	0	-
2019-20	38	6,838	2,571	सामान्य SA
2020-21	0	0	-	-
2021-22	38	2,296	2,136	सामान्य SA
2022-23	38	8,068	5,050	(दिनांक 16.02.23 तक)

सामाजिक अंकेक्षण से निम्न प्रकार के कतिपय शिकायत/तथ्य प्राप्त हुएः–

- सामाजिक अंकेक्षण दल को पंजी उपलब्ध नहीं कराना एवं पंजी का अद्यतन नहीं पाया जाना।
- लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं मिलना।
- समय पर जन वितरण दुकान नहीं खुलना।

- निर्धारित दर से ज्यादा कीमत वसूलना।
- लाभुकों को निगरानी समिति के बार में जानकारी न होना।
- राशन के उठाव से संबंधित SMS प्राप्त नहीं होना।
- लाभुकों को टोल फ्री नम्बर का जानकारी नहीं होना।
- E-PoS मशीन से राशन के वितरण के समय लाभुकों को कैशमेमो नहीं देना।
- जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर भण्डार तालिका/सूचना पट्ट पर अद्यतन जानकारी अंकित नहीं होना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों एवं ग्राम सभा–सह–जन सुनवाई के प्रतिवेदनों को जिला संसाधन सेवी के द्वारा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त कार्यालय को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है। समर्पित प्रतिवेदन पर क्रियान्व्यन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

हर घर नल का जल निश्चय योजना

वित्तीय वर्ष 2020–21 में विश्व बैंक संपोषित ''नीर निर्मल परियोजना'' अंतर्गत 10 जिलों यथा नवादा, नालंदा, बांका, बेगुसराय, मुंगेर, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण में संचालित बहुग्रामीय एवं एकल ग्रामीय जलापूर्ति योजनाओं का सामान्य सामाजिक अंकेक्षण का पायलट किया गया। पायलट सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत 4,095 पंचायतों में हर घर नल का जल निश्चय योजना का सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है, जिसमें अंकेक्षण दल द्वारा बहुग्रामीय एवं एकल ग्रामीय जलापूर्ति योजना अन्तर्गत निर्मित बुनियादी ढ़ांचे, जलापूर्ति सुविधाओं एवं सेवाओं, जलापूर्ति की गुणवत्ता, पेयजल संबंधी मुद्दे तथा समस्याओं का अंकेक्षण किया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति :

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	अभियुक्ति
	जिला	पंचायत	पंचायत	
2018-19	0	0	0	-
2019-20	0	0	0	.
2020-21	10	106	105	
2021-22	0	0	0	
2022-23	38	4,095	3,211	सामान्य SA

सामाजिक अंकेक्षण से निम्न प्रकार के कतिपय शिकायत/तथ्य प्राप्त हुएः–

- अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया जाना।
- लोक निर्माण समिति पारदर्शी तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जाना।
- वितरण पाईप जमीन के उपर गया, जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने से पानी का लिकेज होना।
- क्षतिग्रस्त नलों का नियमित मरम्मति नहीं किया जाना।
- पांचों रजिस्टर का संधारण सही तरीके से नहीं किया जाना।
- अंतिम छोर पर पानी का दबाव कम पाया जाना।
- टॉल फ्री नम्बर तथा शिकायत पुस्तिका के बारे में लाभुकों में जानकारी न
- ज्यादातर जगहों में स्टैण्ड पोस्ट की कंक्रीट से ढ़लाई नहीं किया जाना।

हर घर नल का जल निश्चय योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों को पंचायत स्तरीय ग्राम सभा –सह– जन सुनवाई में सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ग्राम सभा –सह– जन सुनवाई में लिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु प्रतिवेदन संबंधित विभाग को अनुवर्ति कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों का MIS इन्ट्री मनरेगा के वेबसाईट पर किया गया है।